

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-1929 / 2010 / कोटा
2. अपील संख्या-1930 / 2010 / कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, कोटा।

.....अपीलार्थी

बनाम
मैसर्स शिव एडीबल लि०,
रानपुर कोटा।

...प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या-1931 / 2010 / बारां
4. अपील संख्या-1932 / 2010 / बारां

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, कोटा।

.....अपीलार्थी

बनाम
मैसर्स शिव एग्रीवो लि०,
कलमण्डा झालावड रोड, बारां।

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदनलाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री एम.एल.पाटोदी, अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से
...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : ५-५-2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दि. 26.02.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 18, 23, 24, 61(1), 61(2)(बी), 55 के तहत पारित आदेशों में निम्नानुसार कायम मांग राशियों को अपास्त किया एवं प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार की गई।

2. चारों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यापारी तेल निर्माण ईकाई है। उसके द्वारा आलोच्य अवधि में तिलहन क्रय की और उससे तेल निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया में डी ओ सी का निर्माण भी हुआ। व्यापारी ने डी ओ सी निर्माण में काम ली गई तिलहन का भी आई टी सी क्लेम किया। सशक्त अधिकारी ने यह माना कि आई टी सी कर योग्य माल के निर्माण व विक्रय पर ही लिया जा सकता है, कर मुक्त पर नहीं। इसलिये सूचना पत्र जारी किया तथा तिलहन से उत्पादित तेल व डी ओ सी के प्रतिशत के आधार पर वेट के तहत पारित किया गया आदेश में उसके द्वारा काम ली गई तिलहन में से डी ओ सी निर्माण में काम आई तिलहन पर चाहा गया आईटीसी क्लेम को अस्वीकार कर रिवर्स किया गया तथा जानबूझ कर गलत आईटीसी क्लेम करने के कारण धारा 61(2)(बी) के तहत की शास्तियां आरोपित की गई। उक्त आदेशों से व्यथित

लगातार.....2

होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपीलों को स्वीकार करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार आरोपित आई.टी.सी.क्लेम एवं शास्तियों को अपास्त कर दिया, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	अ.अ.की अपील स.	कर नि. वर्ष	आईटीसी क्लेम	शास्ति	कुल मांग राशि
1929/10	104/वेट/09-10/कोटा	06-07	24,39,612	48,79,224	73,18,836
1930/10	24/सीएसटी/09-10/कोटा	06-07	52,17,426	1,04,34,852	1,56,52,278
1931/10	10/वेट/09-10/बारां	06-07	8,00,182	-	8,00,182
1932/10	1/सीएसटी/09-10/बारां	06-07	13,80,156	27,60,112	41,40,168

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा आईटीसी क्लेम एवं अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत जो शास्तियां आरोपित की गई है, वह उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी से मत भिन्नता के आधार पर एन्टीईवेजन के अधिकारी को किसी व्यवहारी पर क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिये प्रतिकरापवंचन के अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय राज० टेक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय 98 टेक्स वर्ड पेज 14 को उद्धरण प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रत्यर्थी एक तेल निर्माण ईकाई है न कि डी ओ सी निर्माण ईकाई। उसने जो विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वह भी तेल निर्माण के लिये ही है। उसके द्वारा कच्चे माल के रूप में तिलहन राज्य में पंजीकृत व्यापारियों से क्रय की जाती है और उसकी पिलाई तेल निर्माण के लिये की जाती है। तेल निर्माण की मुख्य प्रक्रिया के तहत डी ओ सी का निर्माण भी होता है, जो एक प्रकार का सह उत्पाद है। अपीलान्त ने डी ओ सी निर्माण के लिये तिलहन की मीलिंग नहीं की है। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डी ओ सी निर्माण में काम ली गई तिलहन पर चाहा गया आई टी सी क्लेम अस्वीकार कर उसे रिवर्स करना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि वेट एक्ट की धारा 2(33) में परिभाषित रिवर्स टेक्स उस परिस्थिति में ही हो सकता है जब बिक्री अधिनियम की धारा 18(1)(a) से (g) में वर्णित उद्देश्यों के अलावा हो। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 18(1)(a) to (g) का उल्लंघन नहीं किया है। कच्चे माल से विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान खल भी बनेगी। धारा 18(1) के अन्त के शब्द उन परिस्थितियों में लागू होंगे जहां अलग कच्चे माल से कर मुक्त तथा कर योग्य माल का विनिर्माण होता है। अतः प्रत्यर्थी को वेट एक्ट की धारा 18 के तहत सम्पूर्ण तिलहन पर आई टी सी क्लेम स्वीकार किया जावे। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि में 127 एसटीसी पेज 313 (पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय), माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा वा०क०अ० प्रतिकरापवंचन श्री गंगानगर बनाम मेसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि० श्रीगंगानगर के प्रकरण में पारित निर्णय 23 टेक्स अपडेट पेज 360, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 85 एस टी सी पेज 220, पंजाब एण्ड 197, 74 एसटीसी पेज 288, 93 एसटीसी पेज 299, 104 एसटीसी पेज 341 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता कथन किया कि प्रत्यर्थी समस्त माल की खरीद एवं विक्रय का जमा खर्च अपनी लेखापुस्तकों में किया है और उसी के अनुरूप विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये हैं, लेकिन सशक्त अधिकारी ने मत भिन्नता के आधार पर गलत आई टी सी क्लेम करना मानते हुए धारा 61(2)(बी) के तहत जो शास्तियां आरोपित की है, जो कि न्यायोचित नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्हें अपास्त किया गया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। व्यवहारी एक तेल निर्माण ईकाई है और उसके द्वारा राज्य के विभिन्न पंजीकृत व्यापारियों से तिलहन क्रय की गई है जिसे कच्चे माल के रूप में तेल निर्माण हेतु काम लिया गया है। इस तेल निर्माण की प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में डी ओ सी का निर्माण भी हुआ है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 18(1) निम्न प्रकार है

"18. Input Tax Credit.- (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers other than the dealers covered by sub-section(2) of section 3 section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

- (a) Sale within the State of Rajasthan, or
- (b) sale in the course of inter-state trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of goods, other than exempted goods, for sale or
- (e) being used as raw material [except those as may be notified by the State Government,] in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-state trade or commerce; or
- (f) [being used as packing material of goods or as raw material in the manufacture of goods for sale] in the course of export outside the territory or India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section,"

सशक्त अधिकारी द्वारा इस धारा के अन्त में प्रयुक्त शब्दावली के आधार पर तिलहन का आंशिक रूप से कर योग्य तेल निर्माण में काम आना माना गया है और अनुपातिक आधार पर कर मुक्त डीओसी में तिलहन का उपयोग करना मानते हुए इनपुट टैक्स क्लेम रिवर्स किया गया है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्री गंगानगर बनाम मेसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि० श्री गंगानगर के प्रकरण में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय 85 एसटीसी पेज 220 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार अपने लेखा पुस्तकों में दर्ज किये गये हैं, जिससे उसकी करापंचना की नियत सिद्ध नहीं होती है एवं ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आकर्षित नहीं होती है।

शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है :-


"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."


प्रत्यर्था द्वारा तर्कों के समर्थन के प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., ए.ई., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी 3 का सम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

अत एव: उपरोक्त न्यायिक व्यवस्थाओं को मध्यनजर रखते हुए व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियां अपास्त की जाती हैं एवं मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि., श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत अपीलीय अधिकारी द्वारा आईटीसी क्लेम की पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से इस हद तक अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाते हैं एवं आईटीसी के बिन्दु पर विभागीय अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष